Nav Jyoti, Vol. 6, No. 12, January-June 2018 ISSN : 2249-7331

भारत में महिला अपराधियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 राहुल गुप्ता

असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सारांशिका

*सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि अपराध लगभग प्रत्येक समाज की एक सामान्य प्रघटना है।अपराध की अवश्यम्भाविता को स्वीकार करते हुए इमाइल दुर्खीम ने कहा है कि ''अपराध मात्र एक विशिष्ट जाति के समाजों के बहुमत में ही नही अपितु सभी प्रकार के समाजो में व्याप्त है।कोई ऐसा समाज नहीं है जिसके सम्मुख अपराध की समस्या न रही हो, यद्यपि इसका स्वरुप परिवर्तित होता रहता है।'' सभी समाजो में यह एक समान अवधारणा है कि अपराध में प्रमुख रुप से पुरुष ही मुख्य भूमिका में रहते है, परन्तु नये होने वाले अध्ययनों से यह तथ्य निगमित होता है कि अपराध में सिर्फ पुरुषों की ही भूमिका नहीं होती बल्कि महिलाओं का भी उसमें योगदान होता है। विश्व के ज्यादातर समाज में अपराध के उपर हुए अध्ययनों के पश्चात् प्राप्त आकडे बताते है कि न सिर्फ सामान्य अपराधों में बल्कि जघन्य अपराधों जैसे हत्या, क्रुरता इत्यादि में भी महिलाओं का भी बडा योगदान है। एन. सी. आर. बी. के नवीन आंकडे इस तथ्य की पुष्टि करते है कि भारतीय समाज में धीरे –धीरे जो परिवर्तन दिखाई दे रहे है उनमें अपराध करने के नवीन प्रतिमान उभर कर सामने तो आ ही रहे है साथ– साथ उन अपराधो में महिलाओं की भूमिका भी ज्यादा होती जा रही है। अब यह शोध का विषय है कि अपराधो में महिलाओं की भूमिका के पीछे वैयक्तिक कारण **(Individual Causes)** है या परिस्थितिजन्य कारण **(Situational Causes)** । प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं का अपराध के क्षेत्र में आगमन की कौन कौन सी संभावित दशाऐं है का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है, इस हेतु द्वितियक स्रोतो का प्रयोग किया गया है।*

अपराध एक शाश्वत और सर्वव्यापी घटना है। प्रत्येक समाज में अपराध किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। सामान्यतः अपरोध को ऐसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समाज विरोधी और जन कल्याण के विरुद्ध होता है। अपराध के विषय में कहा जात है कि जब तक समाज का अस्तित्व रहेगा इसका भी अस्तित्व बना रहेगा। हाँ यह अलग तथ्य है कि इसका स्वरूप भिन्न हो। जैसे विभिन्न युगों में अपराध और अर्थ अलग–अलग रहा है आदिम समाजों में धार्मिक, नैतिक और प्रथागत नियमों का उल्लंघन करना एक गम्भीर अपराध माना जाता रहा है। जबकि यदि हम वर्तमान में इसके स्वरूप पर चर्चा करें तो पता चलता है कि अब वह व्यवहार ज्यादा बड़े अपराध है जो राज्य के कानूनों के विरुद्ध किए गए हैं।

यद्यपि अपराध को एक सार्वभौमिक तथ्य के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है, फिर भी देश, काल, परिस्थिति के अनुसार इसका स्वरूप बदलता रहा है। एक ही कार्य एक स्थान पर अपराध माना जाता है किन्तु दूसरे स्थान पर उस के लिए पुरस्कृत किया जाता है। इसी तरह से पूर्व में कुछ ऐसी प्रथाएँ थी जिन्हें सिर्फ उचित ही नहीं अपितु सम्माननीय माना जाता था परन्तु आज उन्हें अपराध के रूप में देखा जाता है। जैसे हिन्दुओं में बहुपत्नीत्व किसी समय सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक था किन्तु वर्तमान समय में कानूनी दृष्टि से इसको अपराध की श्रेणी में रखते हैं।

सामान्यतः जब भी अपराध को करने वाले की चर्चा होती है, तो सबसे पहले मानस पटल पर किसी पुरुषका चित्र ही दिखाई पड़ने लगता है। ज्यादातर विद्वानों ने अपराधियों के रूप में पुरुषों का ही चित्रण किया है। लोम्ब्रोसे ने भी अपनी पुस्तक अपराध और दण्ड में पुरुष अपराधियों के प्रकारों की ही चर्चा की है। गारफेलो, फेरी, सदरलैण्ड हैवलोक, एलिस अशाफेनबर्ग इत्यादि ने भी अपराधियों के वर्गीकरण में पुरुष अपराधियों को ही आधार माना है। भारत जैसे देश में जहाँ पितृसत्तात्मक परिवारों की सर्वाधिक संख्या है या पुरुषों का ही सदैव से वर्चस्व रहा है ,जिसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह अपराध का ही क्षेत्र क्यों न हो में पुरुष ही आगे रहा है। ऐसे अध्ययनों की संख्या में दिन–प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है जिनमें पुरुषों द्वारा नित नए–नए अपराध किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अपराध के बदलते स्वरूप पर भी अध्ययन हो रहे हैं। पारम्परिक अपराध से बढ़ते हुए अब अपराधी तकनीकी का सहारा लेकर नए–नए प्रकार से अपराध कर रहे हें।

जहाँ एक ओर अपराध के स्वरूपों में परिवर्तन हो रहा है वहीं दूसरी ओर अब अपराध में पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं का भी योगदान बढ़ता जा रहा है।

प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं का अपराध और आपराधिक कृत्य में बढ़ रहे योगदान के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर इस शोध पत्र में यह अध्ययन किया गया है कि भारत जैसे देश में होने वाले अपराधों में जहाँ पुरुषों की संख्या ज्यादा रही है वहीं धीरे–धीरे महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है मेरे इस शोध पत्र का उद्देश्य महिलाओं का अपराध की तरफ उन्मुख होने की दशाओं के साथ अपराध के उन स्वरूपों के विषय में भी अध्ययन करना है जिनमें अब महिलाओं की प्रतिशतता में वृद्धि हो रही है इस शोध पत्र को द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से पूर्ण किया गया है जिनमें राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, इण्टरनेट पर उपलब्ध सामग्रियों तथा अपराध से सम्बन्धित पुस्तकें एवं लेख इत्यादि सम्मिलित हैं।

यह लेख दो भागों में विभाजित है जिसमें प्रथम भाग भारत में महिलाओं के अपराध की सहभागिता का सांख्यिकीय अभिगम से सम्बन्धित और दूसरा भाग अपराध के कारणों एवं उनके निवारण से सम्बन्धित है।

भारत में महिला अपराधिता–

मानवता के इतिहास के प्रारम्भिक अवस्था से ऐसा माना जाता रहा है कि मुख्य रूप से महिलाएँ परिवार की बुनियाद का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत अंग रही है। महिलाओं को सामाजिक मान्यताओं परम्पराओं प्रथाओं के साथ–साथ परिवार की मूल अभिवृत्तियों का पोषक माना जाता है।

वर्तमान विश्व में महिलाएँ अपने परिवार के पोषण के साथ–साथ अपनी स्वतन्त्र पहचान बनाने का एक अतिरिक्त कार्य भी कर रही हैं लेकिल यह देखना दुःखद है कि जहाँ एक ओर भारतीय महिलाएँ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में सफलताएँ अर्जित का रही है वहीं दूसरी ओर उनका रुझान आपराधिकता की तरफ भी बढ़ा है। भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में वृद्धि के साथ–साथ महिला अपराधियों की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। अब यह मुद्दा खतरे की घण्टी के स्तर तक पहुँच गया है जिससे अब सभी सामाजिक अध्ययन करने वाले लोगों की यह जिम्मेवारी हो गयी है कि महिलाओं के आपराधिक कृत्यों की तरफ उन्मुख होने के कारणों का पता लगाएँ। सैद्धान्तिक रूप से महिला अपराधिकता बहुत ज्यादा दुरुह मुद्दा है जिसे आसानी से हल नहीं किया जा सकता है।सामाजिक वातावरण का भी महिलाओं को अपराधी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (N.C.R.B.) के आँकड़ों को देखने के बाद महिला आपराधिता एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखायी पड़ता है। N.C.R.B. के 2009 के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि इस समय तक जब महिला अपराधी की न्यूनतम प्रतिशतता थी तो भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 6.3% महिला अपराधियों को दोषी करार दिया गया था। क्राइम इन इण्डिया की रिपोर्ट की तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि महिला अपराधियों की संख्या 2003 में 151675 थी जो 2007 तक बढ़कर 154635 हो गया था तथा वर्ष 2016 में इसकी संख्या 1932241 हो गयी है लेकिन इन आँकड़ों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपराध की वह प्रवृत्ति जो महिलाओं द्वारा 2003 में किए गए थे 2007 तक तथा वर्ष 2016 में उसकी प्रकृति में आमूल–चूल परिवर्तन दिखायी पड़ने लगा है,उदाहरण स्वरूप हल्के–फुल्के अपराध जैसे नशीली दवाओं की तस्तकरी और वेश्यावृत्ति से गम्भीर किस्म के अपराध जैसे हत्या इत्यादि की श्रेणी में भी महिलाएँ शामिल होने लगी।

N.C.R.B. के आँकड़ो बताते हैं कि महिलाओं को भी हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2007 में 3712, 2009 में 4007 और 2016 में 3985 महिलाएँ गिरफ्तार हुई। इसकी प्रतिशत वृद्धि 2007 में 6.0%, 2009 में 6.4% तथा 2016 में 6.8% हो गयी।

जैसा कि प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है कि भारत में महिलाओं के अपराध में संलग्न होने के लिए सामाजिक दशाएँ जिम्मेदार हैं क्योंकि यहाँ पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। मनोवैज्ञानिक आँचल भगत के अनुसार महिला अपराधियों का सामाजिक व्यवस्था के प्रति विश्वास समाप्त हो चुका है। अपने तर्क को और आगे बढ़ाते हुए भगत कहती हैं कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में महिलाओं के साथ भेदभाव जन्म से लेकर मरण तक चलता रहता है उनके भाग्य को बन्द कर दिया जाता है तथा उनको वंचना का शिकार होना पड़ता है यहाँ तक कि उनको संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त करने में समस्यायें होती हैं भगत एक उदाहरण देते हुए बताती हैं कि कैसे फूलनदेवी न्याय न मिल पाने के कारण दस्युसुन्दरी

बन गयी। अपने जीवन काल में उन्होंने कितने ही लोगों की हत्याएँ भी की। निष्कर्षतः भगत कहती हैं कि महिलाएँ जब उचित सम्मान, न्याय और समाज के द्वारा एक उचित पहचान नहीं प्राप्त करती हैं तथा अन्याय का शिकार होती है तब वे फूलन देवी जैसी बन जाती हैं और कानून को अपने हाथ में ले लेती हैं। यह इस बात पर भी जोर देती हैं कि जब कभी भी न्यायालय इस तरह के मुकदमों की सुनवाई करें तो उन्हें तात्कालिक कारणों की विवेचना अवश्य करें जिसकी वजह से महिलाएँ अपराध की है।

बाजपेई और बाजपेई (2000) कहते हैं कि समाज की मुख्यधारा में महिलाएँ बहुत तेजी के साथ जुड़ रही हैं उसी तरह से भारत में उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि अपराध में भी इनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। इनका कहना है कि महिलाओं के लिए आज तक यह कथन सही साबित हो रहा है कि अधिकार पहले तो मांगकर नहीं छीनकर प्राप्त करना चाहिए। इस अधिकार प्राप्ति में लड़ाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जिसका अन्तिम परिणाम अपराध ही है।

पटनायक और मिश्रा (2001) ने विकास और सामाजिक परिवर्तन का एक खाका तैयार करके उसका परीक्षण करते हुए बताया है कि महिला अपराधिकता विकसित देशों एवं भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों के लिए एक नवीन प्रघटना है। इनके अनुसार महिला अपराधिकता सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक और पर्यावरणीय के विविध स्वरूपों के साथ–साथ तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण, पश्चिमीकरण तथा नगरीकरण का परिणाम है। वर्तमान में महिलाओं द्वारा किए जा रहे अपराधों में होने वाली तेज वृद्धि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रीयों तथा अपराधशास्त्रीयों का ध्यान आकृष्ट किया है क्योंकि यह प्रघटना न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुँचा रही है बल्कि भारतीय समाज की सामाजिक संरचना को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है।

अगर हम भारतीय महिलाओं के 2001 से 2011 तक के अपराध के सांख्यिकीय आँकड़ों पर तुलनात्मक दृष्टि डालें तो निम्नलिखित तथ्य निगमित होते हैं।

सारिणी संख्या–01

Persons Arrested Under IPC Crimes in India2001 to 2011

(Crime head wise and Gender Wise)

		2001					2011				
S.N.	**Crime Head**	**Male**	**Female**	**Total**	**Percentage to total**		**M**	**F**	**Total**	**Percentage to total**	
					M	F				M	F
1	Murder	71888	3434	75322	95.4%	4.6%	66150	4443	70593	93.7%	6.3%
2	Attempt to murder	75844	1995	77839	97.4%	2.6%	72895	3179	76074	95.8%	4.2%
3	C.H. Not ammounting in murder	6472	123	6595	98.1%	1.9%	6928	160	7088	97.7%	2.3%
4	Rape	19951	495	20446	97.6%	2.4%	28112	766	28878	97.3%	2.7%
5	Kidnapping & Abduction	29379	1506	30885	95.1%	4.9%	54956	2527	57483	95.6%	4.4%
6	Dacoity	24396	107	24503	99.6%	0.4%	16758	250	17008	98.5%	1.5%
7	Preparation and Assembly for Dacoity	7402	28	7430	99.6%	0.4%	11360	19	11379	99.8%	0.2%

8	Robbery	29395	128	29523	99.6%	0.4%	35252	294	35546	99.2%	0.8%
9	Burgalary	65857	1039	66896	98.4%	1.6%	66819	1549	68368	97.7%	2.3%
10	Theft	157964	4250	162214	97.4%	2.6%	197401	6806	2042207	96.7%	3.3%
11	Riots	377540	20826	398366	94.8%	5.2%	334525	19461	353986	94.5%	5.5%
12	Ciminal Breach Of Trust	15229	422	15651	97.3%	2.7%	23284	760	24044	96.8%	3.2%
13	Cheating	41303	1484	42787	96.5%	3.5%	88147	4717	92864	94.9%	5.1%
14	Counterfeiting	1939	41	1980	97.9%	2.1%	2063	67	2130	96.9%	3.2%
15	Arson	13465	269	13734	98.0%	2.0%	12077	303	12380	97.6%	2.4%
16	Hurt	458080	30506	488586	93.8%	6.2%	479835	36063	515898	93.0%	7.0%
17	Dowry Deaths	15908	4473	20381	78.1%	21.9%	19814	4764	24578	80.6%	19.4%
18	Molestation	41733	511	42244	98.8%	1.2%	52069	1698	53767	96.8%	3.2%
19	Sexual Harassment	12299	140	12439	98.9%	1.1%	9687	193	9880	98.0%	2.0%
20	Cruelty by husband and relatives	83546	25921	109467	76.3%	23.75	139403	41298	180701	77.15	22.9%
21	Importation of girls	206	14	220	93.6%	6.4%	203	18	221	91.9%	8.1%
22	Death Due ToNegligence	52280	426	52706	99.2%	0.8%	90046	267	90313	99.7%	0.3%
23	Other IPC Crime	924856	46470	971326	95.2%	4.8%	1144506	63953	1208459	94.7%	5.3%
24	**Total Cognizable Crime Under IPC**	**2526932**	**144608**	**2671540**	**94.6%**	**5.4%**	**2952290**	**193555**	**3145845**	**93.8%**	**6.2%**

स्रोत– भारत सरकार 2011

भारत सरकार द्वारा 2011 में जारी आँकड़ों का अवलोकन करने पर अपराध की श्रेणी तथा लैंगिक आधार पर वर्ष 2001 से 2011 के मध्य महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा किए गए अपराधों का तुलनात्मक विवरण प्राप्त होता है। जिसके अनुसार एक दशक में महिलाओं द्वारा अपराध की प्रकृति एवं अपराध की प्रतिशत वृद्धि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महिलाओं द्वारा 2001 में किए गये कुल अपराधों की संख्या 144608 थी जो 2011 में बढकर 193555 हो गई, यदि हम इसमें प्रतिशत वृद्धि को देखे तो यह 5.4 प्रतिशत से बढकर 6.2 प्रतिशत तक पहुॅच गई। हत्या जैसे जघन्य अपराधों में यह वृद्धि 4.6 प्रतिशत से बढकर 6.3 प्रतिशत तक तथा हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराधों में 2.6 प्रतिशत से बढकर 4.2 प्रतिशत तक पहुॅच गई।

वर्ष 2016 में N.C.R.B. से प्राप्त आँकड़े बताते हैं कि महिलाओं का अपराध के नये स्वरुपों में भी भागीदारी हो रही है साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे जद्यन्य अपराधों में कोई कमी होती दिखाई नही दे रही है–

Persons Arrested Under IPC Crimes in India2016(crime head wise and Gender Wise)

S.N.	Crime Head	Persons Arrested			Percentage		
		Male	Female	Total	Male	Female	Total
1.	Murder	55417	3985	59402	93.2	6.8	100
2.	Culpable Homicide not Amounting to Murder	5904	180	6084	97.0	3.0	100
3.	Causing Death by Negligence	122243	358	122601	99.7	0.3	100
4.	Dowry Deaths	16639	3906	20545	80.9	19.1	100
5.	Attempt to Commit Murder	91825	4210	96035	95.6	4.4	100
6.	Attempt to Commit Culpable Homicide	13242	359	13601	98.0	2.0	100
7.	Grievous Hurt	141700	7340	149040	95.0	5.0	100
8.	Causing Injuries under Rash Driving	333218	2802	336020	99.1	0.9	100
9.	Assault on Women with Intent to Outrage her Modesty	106152	4223	110375	96.1	3.9	100
10.	Kidnapping & Abduction	77221	192	79177	97.5	2.5	100
11.	Human Trafficking	1628	316	1944	83.7	16.3	100
12.	Rape	47619	1178	48797	97.5	2.5	100
13.	Attempt to Commit Rape	5921	44	5965	99.2	0.8	100
14.	Unnatural Offences	2444	29	2473	98.8	1.2	100
15.	Offences Against State	185	5	190	97.3	2.7	100
16.	Unlawful Assembly	73477	8352	81829	89.7	10.3	100
17.	Riots	267998	13733	281731	95.1	4.9	100
18.	Offences Promoting Enmity Between Different Groups	945	21	966	97.8	2.2	100
19.	Theft	237295	5032	242327	97.9	2.1	100
20.	Criminal Trespass/ Burglary	79843	1251	81094	98.4	1.6	100
21.	Extortion	15759	198	15957	98.7	1.3	100
22.	Robbery	45860	488	46348	98.9	1.1	100
23.	Dacoity	17067	290	17357	98.3	1.7	100

24.	Making Preparation and Assembly for Committing Dacoity	14148	13	14161	99.9	0.1	100
25.	Criminal Breach of Trust	23669	704	24373	97.1	2.9	100
26.	Cheating	109878	4567	114445	96.0	4.0	100
27.	Arson	14394	381	14775	97.4	2.6	100
28.	Counterfeiting	1689	45	1734	97.4	2.6	100
29.	Forgery	13807	634	14441	95.6	4.4	100
30.	Cruelty by Husband or his Relatives	160034	38817	198851	80.4	19.6	100
31.	Insult to the Modesty of Women	8353	315	8668	96.3	3.7	100
32.	Other IPC Crimes *	1439055	87509	1526564	94.2	5.8	100
	Total IPC Crimes	3544629	193241	3737870	94.8	5.2	100

Note: * May include cases under Abetment of Suicide, Assault on Public Servant, Affray, Simple Hurt, Public Safety, Tresspass, Mischief and Receiving Stolen Property, etc.

भारत में महिला अपराधिता के प्रमुख कारण

भारत में महिलाओं के आपराधिक कृत्य में संलग्न होने के पीछे कौन–कौन से प्रमुख कारण हैं इस पर चर्चा करने पर अलग–अलग विचार प्राप्त होते हैं अनेक अपराधशास्त्री भारत में महिलाओं के अपराध में शामिल होने के पीछे जैविक दृष्टिकोणों को कारण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन आधुनिक शोधार्थियों ने महिला अपराधिता के पीछे पूर्व के जैविक या समाजशास्त्रीय कारणों को ही उत्तरदायी माना है क्योंकि अपराध एक व्यवहारिक या सामाजिक समस्या हैं जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता है। महिलाएँ अपनी प्रमुख भूमिका से अपराध जैसी विकृति की ओर परिवर्तित हो रही हैं इसके लिए अनेक कारण जैसे जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या पर्यावरणीय उत्तरदायी हैं।

जैविक दृष्टिकोण

सीजर लैम्ब्रोसो को महिला अपराधियों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सर्वप्रमुख योगदान रहा है उनका दृष्टिकोण है कि ''महिला प्रजातियों में विचलनकारी प्रवृत्तियाँ जैविक रूप से निहित होती हैं'' लैम्ब्रोसे ओर फरेरो (1895) ने एक सिद्धान्त विकसित किया कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्दरकुछ असामाजिक तथ्व होते हैं जो उनके जैविक कारणों की वजह से होते हैं। ऐसी महिलाएँ जो जन्म से अपराधी होतीहैं वे पुरुषों की अपराधिक गुणों में बराबरी करती हैं। जबकि भारतीय महिलाओं के अपराध की तरफ उन्मुख होने के लिए सामाजिक और आर्थिक वंचना जैविक कारकों की तुलना में ज्यादा प्रमुख हैं।

पोलोक ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के अपराध की तरफ जाने की पीछे हार्मोन्स में होने वाले परिवर्तन भी उत्तरदायी होते हैं। मुख्य रूप से गर्भावस्था, माहवारी और मानसिक विकास के समय होने वाले हार्मोन्स उत्सर्जन के समय महिलाएँ भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से अजीबोगरीब बर्ताव करती है।

मनोवैज्ञानिकदृष्टिकोण

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार ऐसी महिलाएँ जो अपनी पारम्परिक भूमिका जैसे पत्नी या मॉ की सामाजिक भूमिका को करने में असहज होती है तथा वे अपनी उस भूमिका के मूल्यों के साथ भी सहज नहीं हो पाती जिसकी समाज अपेक्षा करता है तो ऐसी महिलाएँ भावनात्मक अस्थिरता, असुरक्षा, अवसाद इत्यादि से ग्रस्त हो जाती हैं ।

सामान्यतः महिलाओं में पुरूषों की तुलना में अधिक तनाव रहता है। प्रथमतः अवसरों में अनुपलब्धता और मातृत्व बनाम् कार्य सम्बन्धी परस्पर विरोधी सन्देशों के कारण भी महिलाओं में तनाव होता है। निम्न सामाजिक प्रस्थिति वाली महिलाओं में उच्च सामाजिक प्रस्थिति वाली महिलाओं की तुलना में तनाव अधिक होता है। सामान्यतः महिलाएँ अपने आस–पास के लोगों से अलगाव हो जाने के डर से अपने क्रोध को प्रकट नही करती है। अपने क्रोध को वे अपराध, असफलता और उदासी में परिवर्तित कर देती है। अपनी भावनाओं को दबाये रखने के कारण बाद में ये घातक हिंसा के रूप्प में विस्फोटित हो जाती है। निंरन्तर तनाव और अलगाव की अवस्था का सामना करने में अकुशलता अपराध के रूप में दिखायी पड़ती है। भारतीय परिदृश्य में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इसलिए उपयुक्त दिखायी पड़ता है क्योंकि यहाँ ज्यादातर अपराध अवसाद और निराशा की वजह से होते है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

पिछले कुछ दशकों में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के उपर लेखों में बाढ़ सी आ गयी है। यह दृष्टिकोण इस बात के उपर प्रकाश डालता है कि कैसे सामाजिक तथ्य महिलाओं को अपराध की तरफ ढ़केलता है। भारत में महिलाओं के साथ विकास और जागरूकता के स्थान पर जीवन भर हर जगह असमानता का व्यवहार किया जाता है। संविधान में उल्लेखित होने के वावजूद भी महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार नही किया जाता है। महिलाओं से जीवन में ऐसे अनेकों अवसर छीन लिये जाते है जिनके द्वारा वे आर्थिक रूप से निर्भर रहती , परन्तु ऐसा न होने के कारण उनकी आर्थिक प्रस्थिति निम्न ही रह जाती है। भारतीय समाज में महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है किवे अपने आस–पास के वातावरण के अनुसार ही व्यवहार करे। महिलाओं की समाज में यह असमान प्रस्थिति सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक रूप से पुरूषों के उपर निर्भर होने के कारण होती है। ज्यादातर यह माना जाता है कि महिला अपराधी या तो हार्मोन्स के असन्तुलन की वजह से या फिर सामाजिक अस्थिरता के कारण होती है।

बहुत सारे मामलों का अध्ययन करने के पश्चात् वलेन (1973) ने महिला अपराधिता के कारणों को बताया है। लेकिन उनमें से कुछ ही कारण ऐसे है जो भारत के सन्दर्भ में सटीक बैठता है।

एडलर (1975) ने वैश्यावृत्ति,मादक द्वव्य व्यवसन और बालकों द्वारा कानून तोड़ने के उपर अपना शोध कार्य किया है, बताती है कि महिलाओं की अपराध की ओर उन्मुख होने में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं से सम्बन्धित उदारवादी आन्दोलनों तथा महिलाओं की मुखरता का है। इनके अनुसार पढ़ी–लिखी लड़किया अपनी सामाजिक भूमिका और पारस्परिक अवरोधों की उपेक्षा करने के लिये हमेशा आतुर रहती है। महिलाओं की इन बदिंशों में कमी की वजह से वो अपराध की तरफ जा रही है। जबकि भारत के सन्दर्भ में यह है कि ज्यादा बंदिश ही बड़े अपराधों का प्रतिफल है।

भारत जैसे देश में जहाँ यह मान्यता है कि महिलाओं को पति की सेवा करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी यहाँ पर महिलाऐ जिन्हें अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया जाता है मुख्यतः वे अपराध नही करती है फिर भी अपने पति की सहायता करने की वजह से अपराधी मान लिया जाता है। इसी तरह ऐसे परिवारों की महिलाओं को जिन के पुरूष सदस्य अपराधी है को भी अपराधी ही माना जाता है।

भारत में महिलाओं को अपराध की तरफ जाने से रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योकि यहाँ यह पता लगाना अत्यन्त दुगर्म कार्य है कि इसकी चपेट में कौन–कौन से क्षेत्र और समाज है, साथ हीपढे लिखे औऱ अनपढो के बीच भी ऐसे कौन लोग है जो अपराध में शामिल है, मुख्य रूप से महिलाएँ। परन्तु समाज में महिलाओं की भूमिका, कानूनों, और अधिकारों के विषय में जागरूकता फैलाकर इस पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकत्ताओं और वयस्क शिक्षा इकाईयों द्वारा कानूनी जागरूकता और उन कार्यों के विषय में जागरूकता फैलाकर जो कानूनी रूप से गलत हे के प्रति भी जन–जागरूकता लाकर महिलाओं को अपराध के दलदल की तरफ जाने से रोका जा सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रपत्र में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय महिलाओं का अपराध में पदार्पण जिस गति से हो रहा है वो एक चिंताजनक विषय है इसके कारणों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि जो कारण महिला अपराधिता में वृद्धि करते है उनमें सर्वप्रमुख कारण सामाजिक और

मनोवैज्ञानिक कारण है। भारत जैसे देश में जब तक सामाजिक भेदभाव की स्थिति विद्यमान है तब तक इस समस्या का स्थाई हल मिलना संभव नही है। भारत में महिलाओं को अपराध की तरफ जाने से रोकना एक बहुत बडी चुनौती है क्योंकि यहॉ यह पता लगाना अत्यन्त कठिन है कि इसकी चपेट में कौन–कौन से क्षेत्र,लोग और मुख्य रुप से महिलाएं है, परन्तु यह आसान हो सकता है यदि हम अनपढ महिलाओं को उनकी सामाजिक भूमिका, कानूनों और अधिकारों के बिषय में जन जागरुकता फैलाऐ तो इस पर कुछ अंकुश लग सकता है। साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा और वयस्क शिक्षा इकाइयों द्वारा कानूनी जागरुकता तथा उन कार्यो के प्रति जो कानून की नजर में गलत है के विषय मेंजन जागरुकता लाकर महिलाओं को अपराधी बनने से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ वे महिलाऐं जो कारावास इत्यादि से बाहर आती है उनके समाज के साथ समायोजन को लेकर भी समाज के लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। और ऐसी महिलाओं का सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से उनके सामाजिक समायोजन के लिए भी प्रयास करना चाहिए। साथ ही उनको सरकारी सहायता देकर व्यवसाय या जीवन यापन का कोई ऐसा स्रोत प्रदान करें जिससे सामाजिक और आर्थिक रुप से उनका समायोजन होने में कोई समस्या न आये ,और वे लोग भी सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. एडलर,एफ (1977), सिस्टर्स इन क्राइमः द राईज ऑफ द न्यू फीमेल क्रिमिनल, न्यू यार्क, मैक्ग्रा हिल।
2. बाजपेई. ए और बाजपेई. पी.के. (2000), फीमेल क्रिमिनलिटि इन इण्डिया, जयपुर,रावत पब्लिकेशन।
3. पटनायक,जे.के., और मिश्रा एन.एन., (2001), सोशल चेन्ज एण्ड फीमेल क्रिमिनलिटि इन इण्डिया।
4. गुप्ता,एम.एल., शर्मा,डी.डी. (2011), समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
5. बघेल,डी.एस. (2006), अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. सिंह, श्यामधर (2005), अपराधशास्त्र के सिद्धान्त, सपना अशोक प्रकाशन, रामनगर,वाराणसी।
7. एन.सी.आर.बी.।
8. क्राईम इन इण्डिया (2011) एवं (2016), भारत सरकार, नई दिल्ली।